आरक्षी पी0ए0सी आधारभूत प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम - 2018

अवधि 06 माह

सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय

सीतापुर (उ0प्र0)

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के नियम 19(1) के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पीएसी का आधारभूत प्रशिक्षण पाठयक्रम निर्धारित किये जाने का प्रावधान है। अन्तिम बार वर्ष 2016 में प्रशिक्षण पाठयक्रम निर्धारित किया गया था। वर्तमान में समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण उ0प्र0 द्वारा आरक्षी पीएसी के प्रशिक्षण पाठयक्रम को संशोधित / रिवाइज्ड करने हेतु निम्नवत पाठयक्रम समिति का गठन किया गया था:-

1- श्री जकी अहमद , अपर पुलिस महानिदेशक सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय , सीतापुर	अध्यक्ष
2- श्री पंकज कुमार , पुलिस अधीक्षक पीटीसी उन्नाव	सदस्य
3- श्री मनोज कुमार विष्ट , पुलिस उपाधीक्षक ए0पी0टी0सी सीतापुर	सदस्य
4-श्री अवधेश कुमार पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक ए0पी0टी0सीसीतापुर	सदस्य

2- उक्त पाठयक्रम समिति द्वारा आरक्षी पीएसी का संशोधित / रिवाइज्ड पाठयक्रम दिनांक 19-06-2018 को प्रशिक्षण निदेशालय में प्रेषित किया गया , जिसका पुर्नपरीक्षण प्रशिक्षण निदेशालय स्तर पर किया गया एव प्रशिक्षण निदेशालय के पत्र संख्या प्रनि- प-290 /2018 दिनांक 27-06-2018 द्वारा प्रशिक्षण पाठयक्रम का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित किया गया।

3- आरक्षी पीएसी के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना निम्नवत निर्धारित की गई है।

1- 06 माह का आधारभूत प्रशिक्षण संस्थानो मे।

2- 03 माह (90 दिवस) का व्यवहारिक प्रशिक्षण।

(क) वाहिनी मुख्यालय पर 20 दिवस

(ख) व्यवस्थापन पर 70 दिवस

इस पाठयक्रम में आरक्षी पीएसी के प्रशिक्षुओं को शिष्ट – विनम्र – जनोन्मुख एवं सेवोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का उददेश्य एवं जन सहमति एवं सहभागिता के साथ पुलिस कार्य करने का कौशल एवं मनोवृत्ति विकसित करने, उन्हें आत्मसम्मानी बनाने , उनके अन्दर प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता , बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता के प्रति आदर जागृति कराने पर जोर दिया गया है।

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या- डीजी- चार-
दिनांक: जून , 2018

आरक्षी पी0ए0सी0 आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण

1. उत्तर प्रदेश पी0ए0सी0 आरक्षी प्रशिक्षुओ का प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी सेवा नियामवली एवं नियमों के अनुसार कराया जायेगा।

2. भर्ती के दिनांक से वाहिनियों में व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण करने तक प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों को "प्रशिक्षु आरक्षी पी0ए0सी0" (Trainee Constable P.A.C.) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3. **प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचनाः–**

   आधारभूत **प्रशिक्षण** कार्यक्रम निम्नवत होगाः–

   1– 06 माह का आधारभूत **प्रशिक्षण** लगातार संस्थानों में

   2– 03 माह (90 दिवस) का व्यावहारिक **प्रशिक्षण**

   (क) वाहिनी मुख्यालय पर 20 दिवस

   (ख) व्यवस्थापन पर 70 दिवस

प्रारम्भिक प्रशिक्षण (जे0टी0सी0)

4. **प्रशिक्षु** आरक्षियों द्वारा एक **प्रशिक्षण** रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें प्रतिदिन उनके द्वारा की जा रही ट्रेनिंग के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी की जायेगी, जिसमें अन्तः कक्षीय **प्रशिक्षण** तथा बाह्य कक्षीय **प्रशिक्षण** के बारे में लिखा जायेगा।

5. **प्रशिक्षु** आरक्षियों की भर्ती के **पश्चात नियुक्ति की वाहिनियों में** (30 दिवस से अनधिक) प्रारम्भिक परिचयात्मक **प्रशिक्षण** दिया जायेगा। सम्बन्धित **प्रशिक्षण केन्द्रों के केन्द्र** प्रभारी **प्रशिक्षुओं** के आगमन पर निम्नलिखित **निर्देशों** का पालन करेंगेः–

   (क) आगमन के **पश्चात प्रशिक्षु** आरक्षियों का नामिनल रोल फार्म भरवाये जायेंगे, जिस पर नवीनतम फोटो भी लगवाया जायेगा।

   (ख) आगमन के समय ही भोजन व्यवस्था हेतु प्रत्येक प्रशिक्षु से मेस एडवान्स जमा कराया जायेगा। प्राप्त **धनराशि** की रसीद **प्रशिक्षण** केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रत्येक **प्रशिक्षु** आरक्षी को प्रदान की जायेगी, तथा गहन **प्रशिक्षण** में भेजे जाते समय भोजन व्यय काटकर, शेष **धनराशि** उसे वापस कर दी जायेगी।

   (ग) समस्त **प्रशिक्षु** आरक्षियों के आगमन के अगले दिन, **प्रशिक्षुओ** की एक जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें उन्हें पुलिस लाइन का पूर्ण भ्रमण कराया जायेगा तथा वाहिनी में नियुक्त समस्त कर्मियों तथा अन्य विभागों के बारे में जानकारी करायी जायेगी।

   (घ) **सम्बन्धित लियन वाहिनी (ज्वाइनिंग वाहिनी) से प्रशिक्षुओ** को वर्दी की वे वस्तुयें उपलब्ध करायेंगे, जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय **इलाहाबाद** द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त जो वर्दी/सामग्री **स्थानीय** स्तर से क्रय करके उपलब्ध करायी जाती है, वह भी उपलब्ध करा दी जायेगी। वर्दी के साथ सभी के किट कार्ड भी बनवा दिये जाएं।

   (च) **वाहिनी के सेनानायक** सभी **प्रशिक्षु** आरक्षियों की चरित्र पंजी तैयार करायेंगे।

(छ) प्रारम्भिक **प्रशिक्षण** की अवधि में **प्रशिक्षु** को **विशेष** रूप से वर्दी का रख–रखाव तथा उसको पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़ों में अधिकारियों का अभिवादन करना, सावधान एवं विश्राम बनाना, पुलिस अधिकारियों के रैंक एवं अलंकारों का ज्ञान, परेड ग्राउण्ड, गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के **अनुशासन** का विधिवत् ज्ञान कराया जायेगा।

(ज) **वाहिनी प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी** जे0टी0सी0 प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त परिचय पत्र तैयार कराकर, **प्रशिक्षु** आरक्षियों के साथ ही सम्बन्धित **प्रशिक्षण** संस्थाओं को सीधे भेजेंगे। परिचय–पत्र, संस्था द्वारा **प्रशिक्षु** आरक्षियों को वितरित किये जायेंगे।

(झ) **सेनानायक** प्रति सप्ताह कम से कम एक बार इन **प्रशिक्षु** आरक्षियों से साक्षात्कार करेंगे।

गहन प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संस्थान)

6. यहाँ ''संस्था प्रमुख'' का तात्पर्य **प्रशिक्षण** संस्थानों में नियुक्त वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी अथवा जनपद में नियुक्त जिला पुलिस प्रभारी तथा पीएसी वाहिनियों में नियुक्त प्रभारी सेनानायक से है।

7. **प्रशिक्षण** केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा **प्रशिक्षु** के प्रगति पत्रों का भली–भॉति अवलोकन किया जायेगा। यदि किसी प्रगति पत्र में कोई त्रुटि या कमी है तो सम्बन्धित **वाहिनी** प्रभारी से पत्राचार करके उसका निवारण कराया जायेगा। सभी **प्रशिक्षु** की चरित्र पंजिकाएँ उनके **वाहिनियों** से प्राप्त करके उसका परीक्षण कर लिया जाये, यदि कोई विसंगति पाई जाए तो उसका समाधान करा लिया जाए।

8. आवास

समस्त **प्रशिक्षु** आरक्षियों के लिए बैरक व अन्य **आवश्यक** सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बिजली व्यवस्था,पंखे तथा बेड की व्यवस्था की जायेगी। किसी **प्रशिक्षु** को निर्धारित बैरक आवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर निवास की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. भोजन व्यवस्था

(क) समस्त **प्रशिक्षु** आरक्षियों को **प्रशिक्षण** केन्द्र के अन्दर उनके लिए निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना अनिवार्य होगा।

(ख) भोजन व्यवस्था के लिए आगमन के समय ही मेस एडवांस के रूप में पुलिस **प्रशिक्षण निदेशालय** द्वारा निर्धारित **धनराशि प्रशिक्षुओ** से जमा करायी जायेगी। प्राप्त **धनराशि** की रसीद प्रत्येक प्रशिक्षु आरक्षी को प्रदान की जायेगी, तथा दीक्षान्त समारोह के उपरान्त भोजन व्यय समायोजित करके शेष **धनराशि** की वापसी **सुनिश्चित** की जायेगी।

(ग) मेस का पूर्ण संचालन स्वयं **प्रशिक्षुओ** द्वारा अपने ही बीच में से चयनित मेस प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा।

(घ) भोजन करते समय भोजनालय में लुंगी, गमछा आदि नहीं पहना जायेगा, निर्धारित की गयी पोशाक ही पहनी जायेगी।

(च) भोजन करते समय भोजनालय में प्रशिक्षुओ द्वारा उचित (यथानिर्दे ात)परिधान पहना जायेगा। भोजन, भोजनालय में निर्धारित स्थान पर बैठकर किया जायेगा।

(छ) **प्रशिक्षण** केन्द्र प्रमुख द्वारा संस्था कटिंग के रूप में **जो भी जनशक्ति अथवा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी वे लाभ/हानि रहित** (No Profit No Loss) **होंगी।** परन्तु यह कटौती किसी भी दशा में रू0 600/–प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। **वे सुविधाएँ जिनका भुगतान**

सामूहिक रुप से किया जाना है इस हेतु गठित संयुक्त समिति जिसमें प्रशिक्षु आरक्षी भी शामिल होंगे के द्वारा राशि निर्धारित कर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण के अन्त में कटौती की शेष धनराशि प्राप्त अंश के अनुपात में उसी बैच के प्रशिक्षुओ में वितरित कर दी जायेगी।

10. दिवसाधिकारी

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रतिदिन एक बाह्य विषय का प्रशिक्षक दिवसाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा। उसका कर्तव्य होगा, कि वह प्रशिक्षु आरक्षियों के मध्य अनुशासन एवं सुव्यवस्था बनाये रखे। किसी उल्लेखनीय बात की सूचना तुरन्त प्रतिसार निरीक्षक/उच्चाधिकारियों को दी जायेगी। ग्राउण्ड से मेस/बैरक से क्लास रूम, क्रीड़ा स्थल के मध्य संचरण, व्यवस्थित एवं सुसंस्कृत ढंग से किया जायेगा।

11. विद्यालय

प्रशिक्षुओं को अन्तः एवं बाह्य विषयों का प्रशिक्षण प्रस्तर–28 एवं 29 में दिये गये विषयों पर कराया जायेगा। परिशिष्टों में दिये गये पाठ्यक्रम के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। आन्तरिक विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट–1 तथा बाह्य विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट–2 में दिये गये विवरण के अनुसार होगा।

प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ्यक्रम की भी एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

12. पुस्तकालय एवं वाचनालय

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक पुस्तकों तथा विभागीय ज्ञान से संबंधित पत्रिकायें इत्यादि रखी जायेंगी।

13. मनोरंजन

प्रशिक्षुओ के मनोरंजन के लिए मनोरंजन–गृह में टेलीविजन तथा इन्डोर गेम्स यथा कैरम बोर्ड, चेस इत्यादि की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षुओ के लिए उनकी संख्या के अनुपात में समाचार पत्रों की व्यवस्था होगी।

14. सूचना पट्ट

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओ के बैरक के निकट एक सूचना पट्ट की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रशिक्षुओ से सम्बन्धित सूचनाएं एवं आवश्यक आदेश /निर्देश चस्पा किये जायेंगे।

15. सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका

(1) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओ के आवास के निकट एक सुझाव एवं शिकायती पत्र पेटिका रखी जायेगी, जिसमें प्राप्त सुझाव एवं शिकायतों का निराकरण संस्था के प्रभारी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(2) यह पेटिका प्रतिदिन संस्था प्रमुख या अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

(3) सभी सुझाव/ शिकायतों को क्रमवार एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा एवं उसी में कृत कार्यवाही भी दर्ज की जायेगी।

16. मासिक सम्मेलन

प्रत्येक माह प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रशिक्षु आरक्षियों का मासिक सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। इसमें प्राप्त सुझावों/समस्याओं को एक रजिस्टर में क्रमवार दर्ज किया जायेगा, और अगले सम्मेलन में कृत कार्यवाही भी दर्ज की जायेगी।

17. परिधान

प्रत्येक प्रशिक्षु को मौसम के अनुसार परेड/पी0टी0/विद्यालय में निर्धारित वर्दी पहननी होगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अन्तःकक्षीय **प्रशिक्षण** कार्यक्रम की क्लास में प्रशिक्षु सादा परिधान धारण करेंगे।

18. खेल–कूद

प्रत्येक प्रशिक्षु आरक्षी को **प्रशिक्षण** अवधि में खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य होगा। **प्रशिक्षण** के प्रभारी अधिकारी खेल–कूद के लिए बालीबॉल, फुटबॉल, बास्केट बॉल, हॉकी, कबड्डी, **कुश्ती** तथा तैराकी हेतु समुचित व्यवस्था **सुनिश्चित** करेंगे। **प्रशिक्षुओ** को मोटर साइकिल **प्रशिक्षण** हेतु संस्था द्वारा **आवश्यक** व्यवस्था की जायेगी।

19. चिकित्सा सुविधा

समस्त **प्रशिक्षु** आरक्षियों को **निःशुल्क** चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। **विशेष दशा** में चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर अन्यत्र उपचार की व्यवस्था करायी जायेगी एवं जिस **प्रशिक्षण** केन्द्र से चिकित्सालय काफी दूर स्थित होगा, वहाँ पर **प्रशिक्षु** के उपचार हेतु **प्रशिक्षण** केन्द्र प्रभारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क करके उपचार की व्यवस्था करेंगे।

20. अवकाश

(क) आधारभूत **प्रशिक्षण** की अवधि में किसी भी **प्रशिक्षणार्थी** को सामान्य रूप से कोई आकस्मिक **अवकाश** नहीं दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रभारी द्वारा एक बार में अधिकतम् 03 दिवस तथा पूरे सत्र के दौरान अधिकतम् 06 दिवस तक आकस्मिक **अवकाश** स्वीकृत किया जा सकेगा। व्यावहारिक **प्रशिक्षण** के दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा लिये गये **अवकाशों** की सूचना **सेनानायक** द्वारा **प्रशिक्षण** संस्थान को प्रेषित की जायेगी। इसी प्रकार गहन **प्रशिक्षण** के दौरान **प्रशिक्षु** आरक्षियों द्वारा लिये गये **अवकाशों** की सूचना संस्था प्रमुख द्वारा **सम्बन्धित वाहिनी के सेनानायकों** को प्रेषित की जायेगी।

(ख) **प्रशिक्षण** की अवधि में बिना अनुमति अनुपस्थिति, **अवकाश** से विलम्ब से आगमन या झूठे आधार पर **अवकाश** प्राप्त करना एक गम्भीर कदाचरण है। ऐसे प्रशिक्षु आरक्षी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी, और सेवामुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(ग) विशेष अवसर पर संस्था प्रमुख द्वारा सामूहिक **अवकाश** /अनुमति दी जा सकेगी। अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों, जिनमें कई दिन का आकस्मिक **अवकाश** रहता है, उन अवसरों पर संस्था प्रमुख द्वारा सामूहिक **अवकाश** इस प्रकार दिया जा सकेगा, जिससे **प्रशिक्षण** प्रभावित न हो। **प्रशिक्षण निदेशालय** इसका अनुश्रवण अपने स्तर से करता रहेगा।

21. प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति

(1) **प्रशिक्षण** के दौरान किसी भी **कारणवश** 15 कार्य दिवस से अनधिक अनुपस्थित रहने वाले **प्रशिक्षणार्थी** को उसी चरण में अतिरिक्त **प्रशिक्षण** देकर कोर्स पूरा कराया जायेगा।

(2) पूरे प्रशिक्षण काल में 15 दिवस से अधिक किन्तु 30 दिवस तक **अवकाश** या किसी भी अन्य कारण से अनुपस्थित होने वाले **प्रशिक्षणार्थियों** को अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) **प्रशिक्षण** के दौरान 15 दिवस से अधिक तथा 30 दिवस तक किसी भी कारण से अनुपस्थित रहने वाले **प्रशिक्षणार्थियों** को अलग से 06 सप्ताह का एक पूरक **प्रशिक्षण** प्रदान किया जायेगा और उसके उपरान्त उनकी समस्त परीक्षायें सम्पन्न करायी जायेंगी।

(4) किसी भी कारण से पूरे **प्रशिक्षण** काल में 30 दिवस से अधिक अनुपस्थित रहने वाले **प्रशिक्षणार्थी** को उसके नियुक्ति **वाहिनी** को वापस कर दिया जायेगा। उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच कराकर यह समाधान किया जायेगा, कि क्या उक्त अनुपस्थिति ऐसी प्रकृति की है कि उसे समुचित चेतावनी अथवा दण्ड देकर अगले बैच के साथ पुनः आधारभूत **प्रशिक्षण** करा दिया जाये, अथवा उक्त अनुपस्थिति बिना किसी आधार के है और अत्यन्त प्रमाद एवं लापरवाहीपूर्ण है तथा उससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि उक्त **प्रशिक्षणार्थी** के एक अच्छे एवं सुयोग्य पुलिस कर्मी के रूप में विकसित होने की सम्भावना नहीं है तो ऐसी स्थिति में **''उ0प्र0 प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 के नियम 20(4)''** के अन्तर्गत उसकी सेवायें समाप्त कर सकते हैं।

(5) यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त प्रस्तर 4 के अन्तर्गत इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि इन्हे **प्रशिक्षण** का मौका पुनः दिया जाना चाहिए तो वे तद्नुसार **प्रशिक्षण निदेशालय** एवं **पी0ए0सी0 मुख्यालय** को सूचित करेंगे। **प्रशिक्षण निदेशालय** अगले आधारभूत **प्रशिक्षण** कोर्स में उन्हें शामिल करने का निर्णय लेकर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी उसे समय से आधारभूत **प्रशिक्षण** में भेज सकेंगे।

(6) **प्रशिक्षणार्थियों** के वेतन के संबंध में **''उ0प्र0 प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015''** के नियम 23, 24 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

22. श्रमदान

श्रमदान पुलिस **प्रशिक्षण** की दृष्टि से अत्यंत अहम विषय है। श्रमदान का कार्य केवल बृहस्पतिवार एवं रविवार को पूर्वान्ह में ही कराया जाए, जिसमें परेड ग्राउण्ड, क्वार्टर गार्द, बैरक एवं बैरक एरिया, गार्डेन की सफाई व रख–रखाव का कार्य कराया जाए। कार्य दिवसों में बाह्य एवं अन्तः विषयों के **कालांशों** में कोई श्रमदान नहीं कराया जायेगा।

23. परीक्षा

उत्तर **प्रदेश पुलिस आरक्षी पी0ए0सी0 आधारभूत प्रशिक्षण** पाठ्यक्रम के अन्तर्गत **दर्शाये** गये परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी। **प्रशिक्षण** की समाप्ति पर अनुत्तीर्ण होने पर पुलिस **प्रशिक्षण निदेशालय** उ0प्र0, लखनऊ से निर्गत **निर्देशानुसार** पूरक **प्रशिक्षण** कराया जायेगा। नकल करते हुये पकड़ा जाना, एक गम्भीर दुराचरण है। नकल करते हुये पकड़े जाने पर जाँच के उपरान्त समुचित **अनुशासनात्मक** कार्यवाही, जो **अनुशासनिक** अधिकारी उचित समझे की जायेगी। उक्त विषय की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। यदि **प्रशिक्षु** को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाता है तो उसे पूरक **प्रशिक्षण** के साथ दुबारा उस विषय की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जायेगा। परीक्षाएं, प्रभारी **प्रशिक्षण** केन्द्र अपने निकट पर्यवेक्षण में इस प्रकार स्वयं उपस्थित रहकर आयोजित करेंगे कि नकल न होने पाए।

24. पुरस्कार

प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक आन्तरिक एवं बाह्य विषयों के प्राप्तांकों में प्रथम स्थान पाने वाले तथा **प्रशिक्षण** केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रदत्त अंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले **प्रशिक्षु** को पुरस्कृत किया जायेगा। आन्तरिक विषयों एवं बाह्य विषयों के प्राप्तांकों के योग में प्रथम/सर्वांग सर्वोत्तम **प्रशिक्षणार्थी** एवं परेड कमाण्डर प्रथम एवं द्वितीय को भी पुरस्कृत किया जायेगा। **प्रशिक्षण** में **विशेष** अभिरूचि रखने वाले उत्कृष्ट उप निरीक्षक अध्यापक, आई0टी0आई0/पी0टी0आई0 को भी **प्रशिक्षण** केन्द्र प्रभारी द्वारा अलग से पुरस्कृत किया जायेगा।

25. पर्यवेक्षण

प्रशिक्षुओ को **प्रशिक्षण**, संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार **प्रशिक्षण** केन्द्र प्रभारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक **प्रशिक्षण** केन्द्र प्रमुख द्वारा चयनित राजपत्रित अधिकारी **प्रशिक्षण** का प्रभारी होगा। प्रत्येक सप्ताह में एक पीरियड ट्यूटोरियल होगा। **प्रशिक्षणार्थियों** को विभिन्न टोलियों से लेकर एक क्लास बनाई जायेगी। एक क्लास टीचर नियुक्त होगा, जो प्रत्येक **प्रशिक्षणार्थी** का ट्यूटोरियल लेगा और **प्रशिक्षणार्थी** की प्रगति से संस्था प्रभारी को अवगत करायेगा। प्रत्येक माह के अन्त में हर विषय से संबंधित एक केस स्टडी को, जिसका विषय प्रभारी द्वारा विधिवत् **प्रशिक्षु** को समझाया जायेगा, प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। प्रत्येक **प्रशिक्षु** को पुलिस के विभिन्न विषयों पर लिखित रिपोर्ट तैयार करने ऑडियो–विजुअल, मौखिक अभ्यास कर पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा। आन्तरिक विषय के **प्रशिक्षण** को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु पुलिस निरीक्षक, उप निरीक्षक एंव अध्यापक उत्तरदायी होंगे तथा बाह्य विषयों के **प्रशिक्षण** को पाठ्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु **कम्पनी कमांडर** अथवा **प्रशिक्षण** केन्द्र प्रभारी द्वारा नामित किये गये बाह्य कक्षीय **प्रशिक्षण** प्रभारी उत्तरदायी होंगे। राजपत्रित अधिकारीगण भी कक्षाएं अव य लेंगे।

26. प्रशिक्षकों के लिए निर्देशः–

(क)–सामान्य निर्देश–

1. **प्रशिक्षुओं** के आत्म–सम्मान को चोट न पहुँचने पाये। उन्हें स्वयं अपना तथा दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाये। **आवश्यक** है कि उनमें हीन–भावना न पनपने पाये और यदि पूर्व से ऐसी भावना हो तो उसे निकाला जाये। एक आत्मसम्मान वाला आरक्षी ही नागरिकों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा।
2. **प्रशिक्षुओं** में अपने कृत्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का साहस पैदा किया जाये। हानि की कीमत पर भी असत्य का सहारा न लेने की भावना जागृत की जाये।
3. **प्रशिक्षुओं** के अन्दर प्रजातांत्रिक मूल्यों, समता, बन्धुत्व तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता की भावना जागृत करना **प्रशिक्षकों** का प्रमुख दायित्व है। उन्हें **प्रशिक्षित** किया जाये कि **अशिष्ट**/उद्दण्ड व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भी बिना उत्तेजित हुये, **शिष्ट** शब्दों से वार्ता करके शान्त करने का **कौशल** उनमें आ जाये।
4. **प्रशिक्षुओं** को व्यक्तियों से सम्मानजनक व्यवहार का बोध एवं अभ्यास कराया जाये, चाहे वह व्यक्ति पीड़ित हो, अभियुक्त हो, घायल हो अथवा बन्दी हो। जिन व्यक्तियों के ऊपर बल प्रयोग किया जाये, उनके साथ भी **शिष्ट** एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाये। घायलों/**शवों** को उठाते/परिवहन करते समय व्यक्ति की गरिमा का **विशेष** ध्यान रखा जाये।
5. **प्रशिक्षुओं** में अपनी गलती होने पर क्षमा प्रार्थना करना/खेद व्यक्त करना **आवश्यक** है। नागरिकों को असुविधा होने पर भी क्षमा मांगना उच्चकोटि के **शिष्टाचार** का द्योतक है। उदाहरणार्थ–**तलाशी** लेने से पूर्व या गिरफ्तारी करते समय ''क्षमा करियेगा/माफ करियेगा'' इत्यादि संबोधन उचित हैं। नागरिकों को उनके द्वारा दिये गये किसी भी सहयोग के लिये धन्यवाद **अवश्य** दिया जाना चाहिये। इसका बोध तथा अभ्यास **प्रशिक्षुओं** को कराया जाये।

(ख)–अन्तःकक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देशः–

1. प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी प्रत्येक सप्ताह का टाइम टेबिल जारी करेंगे।
2. प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है, कि वह लैसन प्लान के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करें।
3. प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि कालांश के लिये उच्च कोटि (प्रमाणित) पुस्तक से पाठ पहले ही तैयार कर लें। प्रशिक्षक इसमें अपने व्यवहारिक व उपयोगी अनुभव का समावेश भी करें।
4. पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रशिक्षुओं को उपलब्ध करा दी जाये, जिससे वे स्वयं तैयार होकर आयें और कक्ष प्रशिक्षण का पूर्ण लाभ उठा सकें।
5. विषय वस्तु स्लाइड व पिक्चर पर तैयार करें एवं यथासम्भव पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें।
6. प्रशिक्षणार्थी को व्यवहारिक ज्ञान, सुरक्षा/वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी व अन्य ड्यूटी आदि के, पूर्व मौलिक सिद्धान्त समझाये।
7. ऐसे प्रश्न तैयार किये जायें, जिसके उत्तर में, पाठ के महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित हों। पाठ को रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाये।
8. सही वर्दी धारण करें, जिससे फुर्तीलापन प्रदर्शित हो एवं उसका रख–रखाव भी साफ–सुथरा हो।
9. प्रत्येक कालांश में प्रश्न पूछने के लिए कुछ समय दें अर्थात् संदेहो को दूर करें।
10. कमजोर प्रशिक्षणार्थियों पर विशेष ध्यान दें तथा तेजस्वी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ायें।
11. ज्ञान जन सेवा के लिए है,अतः प्रत्येक विशय या अं ा का क्रियात्मक अभ्यास अव य कराया जाए।

(ग)–बाह्य कक्षीय प्रशिक्षकों के लिए निर्देशः–

1. पाठ को सुविधाजनक भागों (कालांशों) में विभाजित करें तथा सबक चलायें ।
2. विषय के अनुसार हिन्दी में व्याख्या करें।
3. अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन द्वारा नमूना दें।
4. विभिन्न हरकतों को एक–एक करके प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से कराया जाय, ताकि उसको पूरा ज्ञान हो सके।
5. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की त्रुटियों को व्यक्तिगत रूप से नाम से पुकार कर सही करें।
   अनावश्यक टीका–टिप्पणी न करें, जब तक कि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी उससे भिज्ञ न हो जाये कि सही क्या है, तब तक अतिरिक्त समय में विशेष कालांश में आव यकतानुसार प्रशिक्षित करें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रशिक्षुओं का मनोबल न गिरने पाये।
6. किसी प्रशिक्षणार्थी को खराब हरकत करने की अनुमति कभी भी न दें।
7. वर्ड ऑफ कमाण्ड तेज व साफ शब्दों में दें।
8. शारीरिक प्रशिक्षण के पाठ इस प्रकार सिखायें जो उसके पूरे जीवन के लिए लाभकारी हों।
9. खेल, तैराकी, एथलेटिक्स व कठिन बाधाओं को पार करने में रूचि उत्पन्न करायें।
10. प्रशिक्षणार्थियों की रूचि के अनुसार जूडो–कराटे/कुश्ती/बाक्सिंग आदि विभाजित कर टोलियों में आयोजित करायें।
11. बाह्य विषयों के प्रशिक्षण को पाठयक्रम के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा नामित बाह्य प्रशिक्षण प्रभारी उत्तरदायी होगें।

(घ) व्यवहारिक अभ्यास-

आउटडोर के समस्त विषयों का व्यवहारिक अभ्यास **अवश्य** करायें। उदाहरणार्थ–घर की **तलाशी**, जंगल का कार्डन व **तलाशी**, आबादी वाले क्षेत्र का कार्डन व **तलाशी**, वाहन की **तलाशी**, जमीनी आड़/छिपाव हासिल करते हुये **सशस्त्र** व्यक्तियों का पीछा करना एवं फायर करना/दबोचना, बन्द कमरे/भवन में दाखिल होना, भवन के अन्दर **प्रवेश** एवं **सशस्त्र** कार्यवाही, हिंसक भीड़ पर बल प्रयोग, हिंसक व्यक्ति को बिना शारीरिक चोट पहुँचाये हुए बन्दी बनाना/परिरूद्ध करना, **अशिष्ट**/उदण्ड व्यक्ति को बिना उत्तेजित हुये वार्ता करना एवं उसे शान्त करना इत्यादि का पर्याप्त अभ्यास कराया जाये।

27. पूर्ण अवधि को (आन्तरिक/वाह्य विषय) निम्नवत विभाजित किया जायेगा :–

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कालांश विवरण–आन्तरिक विषय

क्र0	विषय	विवरण
1.	प्रशिक्षण की अवधि (प्रतिमाह 30 दिवस की दर से)	06 माह =180 दिवस
2.	प्रत्येक माह में कार्य दिवसों की संख्या (रविवार एवं अन्य अकार्य दिवसों को छोड़कर)	24 दिवस
3.	06 माह में कार्य दिवसों की संख्या	144 दिवस
	06 दिवस मध्यावधि सामूहिक अवकाश (रविवार से शनिवार तक)	06 दिवस
4.	अन्तिम परीक्षा हेतु निर्धारित कुल दिवस	07 दिवस
5.	जंगल कैम्प	03 दिवस
6.	फायरिंग अभ्यास	02 दिवस
7.	पासिंग आउट परेड की तैयारी कुल दिवस	04 दिवस
	योग दिवस (गैर–प्रशिक्षण)	22 दिवस
8.	प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कुल कार्य दिवसों की संख्या	122 कार्य दिवस
9.	प्रतिदिन आन्तरिक विषयों के लिए निर्धारित कालांश	03 कालांश
10.	आन्तरिक विषयों के लिए सम्पूर्ण वास्तविक कालांश	366 कालांश
11.	प्रतिदिन वाह्य विषयों के लिए निर्धारित कालांश (दिन)	07 कालांश
12.	वाह्य विषयों के लिए सम्पूर्ण वास्तविक कालांश	854 कालांश

टिप्पणीः– सातवें वाह्य कालांश (अपरान्ह में) बाद आठवॉ कालांश खेलकूद एंव तद्नुसार अन्य प्रशिक्षण कार्य के लिए होगा। इसमें खेल के अलावा योगासन, ध्यान, यू0ए0सी0 या अन्य कोई कार्यक्रम रखा जाये।

28. अन्त एवं वाह्य प्रशिक्षण के विषयों के मध्य कालांशों का विभाजन निम्नवत् होग :–

(क) कालांश आवंटन आन्तरिक विषय (अवधि 06 माह)

क्र0 सं0	विवरण आन्तरिक विषय	कालांश	अंक
1.	प्रथम समूह (विधि प्रथम)	75	75
2.	द्वितीय समूह (विधि द्वितीय)	75	75
3.	तृतीय समूह (पुलिस विज्ञान प्रथम)	81	100
4.	चुतर्थ समूह (पुलिस विज्ञान द्वितीय)	81	100
5.	पंचम समूह (सामान्य)	54	50
योग सम्पूर्ण कालांश/अंक		**366**	**400**

(ख) कालांश आवंटन वाह्य विषय (अविध 06 माह)

क्र0 सं0	विवरण वाह्य विषय	कालांश	अंक
1.	शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0)	200	200
2.	पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0)	258	250
3.	शस्त्र प्रशिक्षण	200	200
4.	फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिस	196	200
योग सम्पूर्ण कालांश/अंक		854	850

(ग) सम्पूर्ण अंक

क्र0 सं0	विवरण वाह्य विषय	अंक
1.	आन्तरिक विषयों के कुल अंक	400
2.	वाह्य विषयों के कुल अंक	850
3.	प्रधानाचार्य/संस्था प्रभारी (साक्षात्कार के अंक)	65
योग सम्पूर्ण अंक		**1315**

(घ) अन्तः तथा वाह्य विषयों के पाठयक्रम की विस्तृत विषय वस्तु क्रमशः परिशिष्ट–01 तथा परिशिष्ट–02 में दी गई है।

29. प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित अंक

(अ)

क0सं0	विषय	अंक
1	नेतृत्व क्षमता	13
2	खेलकूद	13
3	सांस्कृतिक अभिरूचि	13
4	कक्षा मॉनीटर	13
5	टोली कमाण्डर	13
योग		**65**

नोट - संस्था प्रमुख द्वारा गठित समिति के द्वारा प्रतिमाह प्रत्येक प्रथम सोमवार को प्रशिक्षु का मूल्यांकन 65 अंक के लिए किया जायेगा। प्रत्येक माह प्राप्तांक की सूची बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखी जायेगी। प्रशिक्षण के अन्त में प्रत्येक माह में प्राप्त कुल अंकों के योग के औसत को प्रशिक्षु का प्राप्तांक माना जायेगा।

(ब) निम्नलिखित प्रकार की अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंकों में से ऋणात्मक अंक किए जाएंगे– अधिकतम 40 अंक ऋणात्मक

1. गम्भीर अनुशासनहीनता — **25 अंक**
2. प्रशिक्षण के दौरान अन्तः/बाह्य कक्षा में विलम्ब से आगमन, अनाधिकृत रुप से अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश अथवा अवकाश से विलम्ब से वापसी की दशा में 0.5 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम — **15 अंक**
3. (आदेश कक्ष) अर्दली रूम में दण्ड — **10 अंक**
4. डिफाल्टर/चेतावनी — **05 अंक**

नोट- आरक्षी प्रशिक्षुओ को सिक रेस्ट अथवा अस्पताल में दाखिल होने की स्थिति में उक्त अवधि का अवकाश लेना होगा एवं छूटे हुए प्रशिक्षण की अवधि उसी अनुपात मे बढ़ जायेगी।

(स) प्रशिक्षण का उद्देश्य अपेक्षित कर्म कौशल के विकास के साथ–साथ पुलिस सेवा के लिये उपयुक्त एवं स्वीकार्य व्यक्तित्व का निर्माण भी है। प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख के मूल्यांकित 65 अंकों में से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

30. परीक्षा–

(1)–अन्तः विषयों की परीक्षायें

(क)–प्रशिक्षण की समाप्ति पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा केन्द्रीय रूप से अन्तः विषयों की परीक्षायें, परीक्षा समिति द्वारा आयोजित करायी जायेगी। अन्तः विषयों की परीक्षायें वस्तुनिष्ठ (Objective) होगी। प्रत्येक दिन एक प्रश्न–पत्र की परीक्षा आयोजित होगी।

(ख)—सम्पूर्ण प्रदेश में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं हेतु प्रश्नपत्र/उत्तर—पुस्तिकाएं पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुद्रित कराकर ओ0एम0आर0 प्रणाली से मूल्यांकन कराया जायेगा।

(2)— बाह्य विषयों की परीक्षायें—

(1) समस्त बाह्य **प्रशिक्षण** की परीक्षायें **प्रशिक्षण** की समाप्ति पर संस्था प्रमुख द्वारा सम्पन्न करायी जायेंगी। इसके लिये पर्याप्त बाह्य परीक्षक बुलाये जायेंगे। बाह्य **प्रशिक्षण** पुलिस उपाधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के होंगें।

(2) बाह्य विषयों की अन्तिम परीक्षा, **प्रशिक्षण** की समाप्ति पर उसी समय करा ली जाय। उनमें प्राप्त अंक सील बन्द करके उसी दिन संस्था प्रमुख को प्राप्त करा दिये जायेगें:—

(3)— न्यूनतम अंक—उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं बाह्य विषयों के प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र में 50 **प्रतिशत** अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

(4)— पूरक प्रशिक्षण—

(अ) अन्तः एवं बाह्य विषयों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण **प्रशिक्षु** आरक्षियों का 06 सप्ताह का पूरक **प्रशिक्षण** एवं परीक्षा पुलिस **प्रशिक्षण निदेशालय** उ0प्र0 द्वारा निर्गत **निर्देशों** के अनुरूप कराई जायेगी। **प्रशिक्षण**/परीक्षा उन्हीं विषयों की कराई जायेगी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहे हों।

(ब) परीक्षा में नकल करते हुये पकड़े गये **प्रशिक्षु** आरक्षियों को उस विषय की परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा यदि इस कदाचरण पर विचारोपरान्त उसे सेवा से बर्खास्त नहीं किया तो उन्हें अनुत्तीर्ण मानते हुए, उसी विषय में पूरक **प्रशिक्षण** कराने के उपरान्त परीक्षा कराई जायेगी।

(5)— विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी

ऐसे समस्त **प्रशिक्षणार्थियों** को जो सम्पूर्ण विषयों में प्राप्तांको के योग में 80 **प्रतिशत** या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, **विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी** (एक्सीलेण्ट कैडेट) घोषित किया जायेगा। **विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी** घोषित करने में उसके द्वारा **प्रशिक्षण** की अवधि में किये गये **विशिष्ट** कार्य तथा पुरस्कार आदि को ध्यान में रखा जायेगा, परन्तु ऐसे **प्रशिक्षणार्थी** जिनके संबंध में प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई हो या जिसका आचरण **प्रशिक्षण** काल में वांछित स्तर का न रहा हो, **विशिष्ट प्रशिक्षणार्थी** घोषित नहीं किया जायेगा, भले ही उसने 80 **प्रतिशत** अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

(6)—प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम का निर्धारण वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार किया जायेगा—

(क) प्राप्तांको के आधार पर।

(ख) प्राप्तांक समान होने पर अन्तःविषयों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले।

(ग) अन्तःविषयों के प्राप्तांक **भी** समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु वाले।

(घ) पूरक **प्रशिक्षण** प्राप्त करने वाले श्रेष्ठताक्रम में सबसे नीचे रखे जाएंगे।

(7) अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले **प्रशिक्षुओं** का 06 सप्ताह का पूरक **प्रशिक्षण**, पुलिस **प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशो** के अनुरूप आयोजित किया जायेगा। **प्रशिक्षणोपरान्त** संबंधित

विषयों की पूरक परीक्षा ली जायेगी। इन प्रशिक्षुओं का श्रेष्ठताक्रम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सभी प्रशिक्षुओं के श्रेष्ठताक्रम के नीचे उक्तानुसार क्रमशः निर्धारित किया जायेगा। परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाए, जिससे नकल न होने पाए। परीक्षायें, संस्था प्रमुख की उपस्थिति में पर्याप्त पर्यवेक्षण स्टाफ के साथ संपन्न कराई जाएं।

31- दैनिक समय सारिणी

समय सारणी आन्तरिक विषय

क्र0सं0	कालांश	समय	कालांश अवधि
1.	प्रथम कालांश	10:30 से 11:10 बजे तक	40 मिनट
2.	द्वितीय कालांश	11:15 से 11:55 बजे तक	40 मिनट
3.	ततीय कालांश	12:00 से 12:40 बजे तक	40 मिनट

समय सारिणी वाह्य विषय (आउट डोर)

प्रथम पाली

क्र0सं0	कालांश	समय	कालांश अवधि
1.	प्रथम कालांश	06:00 से 06:40 बजे तक	40 मिनट
	विश्राम	06:40 से 06:45 बजे तक	05 मिनट
2.	द्वितीय कालांश	06:45 से 07:25 बजे तक	40 मिनट
	विश्राम	07:25 से 07:30 बजे तक	05 मिनट
3.	तृतीय कालांश	07:30 से 08:10 बजे तक	40 मिनट
भोजनावकाश एवं वाह्य कार्यक्रम			
4.	चतुर्थ कालांश	15:00 से 15:40 बजे तक	40 मिनट
5.	पंचम कालांश	15:45 से 16:25 बजे तक	40 मिनट
6.	षष्ठम कालांश	16:30 से 17:10 बजे तक	40 मिनट
7.	सप्तम कालांश	17:15 से 17:55 बजे तक	40 मिनट
8.	अष्ठम कालांश (खेलकूद)	18:00 से 18:40 बजे तक	40 मिनट

टिप्पणी :– स्थानीय आवश्यकताओं एवं मौसम के अनुसार कालांश कार्यक्रम संस्था प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

32. **प्रशिक्षुओं** को आमद कराते ही आंतरिक एवं बाह्य विषयों का पाठ्यक्रम व सामान्य **निर्देश** की प्रतियां उपलब्ध करा दी जाये तथा पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें भी **भीम राव अम्बेडकर** पुलिस अकादमी, **मुरादाबाद तथा आर्म्ड पुलिस ट्रैनिंग सेन्टर, सीतापुर** से प्राप्त कर, उनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्हें पाठय सामग्री का अध्ययन करके एवं पुस्तकालय से संदर्भ देखकर सैद्धान्तिक पक्ष में तैयार होकर कक्षा में आने हेतु प्रेरित किया जाये, जिससे कक्षा कार्यक्रम अधिकाधिक व्यावहारिक **विमर्श** उन्मुख एवं शंका समाधान का स्थान/माध्यम बन सके। **प्रशिक्षुओ** को अधिकाधिक शंकाओं/पृच्छायें करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। प्रत्येक सैद्धान्तिक इनपुट का व्यावहारिक अभ्यास **अवश्य** कराया जाये।

33- <u>प्रशिक्षण के दौरान शांति–व्यवस्था ड्यूटी</u>

संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की अनुमति के प्रशिक्षुओं को शांति–व्यवस्था ड्यूटी में लगाना पूर्णतः वर्जित होगा क्योंकि इससे प्रशिक्षण प्रभावित होता है।

34- संस्था प्रमुख प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षुओं से सीधा संवाद करेंगे।

(ओम प्रकाश सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :–पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। वह कृपया सर्वसम्बन्धित अधिकारियों/कार्यालयों को इसकी प्रतियों अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

(ओम प्रकाश सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट - 1

आरक्षी पी0ए0सी0 अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण पाठयक्रम की विस्तृत विषय वस्तु

(1) प्रथम समूह (विधि विज्ञान)

कालांश –75 **पूर्णाक–75**

प्रथम समूह तीन खण्डों में निम्नप्रकार विभक्त होगा,

खण्ड–एक (भारतीय दण्ड संहिता)

क्र0सं0	विवरण/विषय	विवरण/धारायें
1	भा0द0 संहिता	विस्तृत ज्ञानः– (धारायें–76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153ए, 159, 160, 166, 166ए, 166बी, 171, 187, 188, 216, 216क, 217, 218, 221,323, 324, 325, 326, 326ए, 332, 333, 353, 354, 354ए, से 354डी तक, 362, 363, 364, 364ए, 366, 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ड.) परिचयात्मक ज्ञानः– (धारायें–201, 279, 295, 295ए, 299, 300, 302, 304, 304ए, 304बी, 306, 307, 308, 309, 378, 379, 383, 384, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 407, 409, 436, 498ए, 509, 511)

खण्ड–दो (दण्ड प्रक्रिया संहिता)

क्र0सं0	विवरण/विषय	विवरण/धारायें
1	दण्ड प्रक्रिया संहिता	धारायें– 2क, ग, ठ, 2बक, ण, 36, 37, 41, 42, (अरेस्ट सम्बन्धी तकनीक) 45, 46, 47, 48, 50, 50क, 129, 130, 131, 132, 197

खण्ड–तीन (भारतीय साक्ष्य अधिनियम)

क्र0सं0	विवरण/विषय	विवरण/धारायें
1	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	धारायें– 3, 24, 25, 26, 27, 28, 32(1), 101 से 104 तक, 105, 118, 119

---

* भारतीय दण्ड संहिता की धारायें "भारतीय दण्ड संहिता" नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।
* दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारायें "दण्ड प्रक्रिया संहिता" नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।
* भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारायें "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।

(2) द्वितीय समूह (विधि विज्ञान)

कालांश –75 **पूर्णांक–75**

द्वितीय समूह तीन खण्डों में निम्नप्रकार विभक्त होगा

खण्ड–एक

क्र0सं0	विवरण / विषय	विवरण / धारायें
1.	शस्त्र अधिनियम–1959	धारायें–2क, ख, ग, ड, 3, 4, 7, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 39
2.	मोटर गाड़ी अधिनियम–1988	धारायें– 3, 122, 183, 184, 185, 187, 192, 197, 199, 202, 206, 207
3.	पुलिस अधिनियम–1861	धारायें– 2, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 30क, 31, 34, 44

खण्ड–दो

क्र0सं0	विवरण / विषय	विवरण / धारायें
4.	पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम–1992	धारायें–1, 3, 4, 5
5.	पुलिस बल अधिकारों का निर्बन्धन अधिनियम–1966	धारायें–1, 2, 3, 4
6.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम –1967	धारायें–1, 2, 3, 4
7.	पीएसी एक्ट–1948	धारायें–1, 2 3 से 11 तक
8.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम – 1989	परिशिष्ट धाराये– 1, 2क, 3, 4

खण्ड–तीन

क्र0सं0	विवरण / विषय	विवरण / धारायें
9.	राष्ट्रीय गरिमा के अपमान का निवारण अधिनियम– 1971	धारायें– 1, 2, 3, 3क
10.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988	धारायें– 1, 7, 8, 13, 17, 19, 24
11.	सार्वजनिक सम्पत्ति का अपहानि निवारण अधिनियम–1984	धारायें– 1, 2, 3, 4
12.	उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956	नियम– 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27
13.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991	नियम, 2, 3क, 4, 4क, 5, 5ख, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27
14.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000	धारायें–2, 43, 66, 66ख से 66च तक, 67क, 67ख
15.	जुआ अधिनियम	धारायें– 1, 3, 4, 5, 13, 13क
16.	आबकारी अधिनियम- 1910	धारायें– 48, 59, 60
17.	किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) **अधिनियम - 2000**	किशोर अपचारी की गिरफ्तारी के सम्बंध में महत्वपूर्ण धारायें– 10, 11, 12
18.	लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण **अधिनियम -** 2012	धारायें– 3 से 12, 14, 16, 17, 18

उपरोक्त विषयों की विषय वस्तु **"केन्द्रीय विविध अधिनियम तथा नियम भाग-1"** , **"केन्द्रीय विविध अधिनियम तथा नियम भाग-2"** एंव **"उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित विविध अधिनियम "** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।

(3) तृतीय समूह (पुलिस विज्ञान प्रथम)

कालांश –81 **पूर्णांक–100**

तृतीय समूह तीन खण्डों में निम्नप्रकार विभक्त होगा

खण्ड–एक संगठन

<u>उ0प्र0 पुलिस और उसके संगठन</u>

1. पीएसी का संगठन एवं कार्य
2. पुलिस का संगठन एवं कार्य
3. घुड़सवारी पुलिस का संगठन एवं कार्य
4. पी0ए0सी0 बल का गौरवपूर्ण इतिहास

<u>तकनीकी सेवायें</u>

1. पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र/कम्प्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी
2. विधि विज्ञान **प्रयोगशाला/नेशनल** फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री
3. पुलिस रेडियो विभाग
4. रेलवे पुलिस
5. अग्निभामन सेवा
6. भ्रटाचार निवारण संगठन
7. अभिसूचना विभाग

<u>भारत में केन्द्रीय पुलिस बलों का संगठन एवं कार्य</u>

1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/आर0ए0एफ0
2. रेलवे सुरक्षा बल
3. सीमा सुरक्षा बल
4. भारत तिब्बत सीमा पुलिस
5. **सशस्त्र** सीमा बल (एस0एस0बी)
6 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
7. केन्द्रीय जांच ब्यूरो
8. गुप्तचर ब्यूरो
9. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

---

* उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन, आदि की विषय वस्तु **"पुलिस विज्ञान द्वितीय"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।
* उ0प्र0 पुलिस और उसके संगठन, तकनीकी सेवायें, भारत में केन्द्रीय पुलिस बलों का संगठन एवं कार्य, प्रशासन की विषय वस्तु को अन्य सोर्सेज जैसे पुस्तकालय एंव इन्टरनेट इत्यादि से पढाया जाता है।
* पी0ए0सी0 बल का गौरवपूर्ण इतिहास की विषय वस्तु "उ0प्र0 पुलिस का उद्भव एंव विकास तथा पी0ए0सी0 का इतिहास" नामक पुस्तक में है। जिसके लेखक श्री राम अरूण हैं।

खण्ड–दो प्रशासन

1. उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का संगठन एवं कार्य
2. पुलिस प्रि ाक्षण निदे ाालय का संगठन एवं कार्य
3. पीएसी मुख्यालय का संगठन एवं कार्य
4. वेतन, भत्ते (कान्स0 से निरीक्षक तक)
5. अवका ा तथा उनके प्राप्त करने के नियम
6. पद चिन्ह/ पदक (पुलिस विभाग), वर्दी पहनने के नियम (Dress Ragulation)
7. सेवा अभिलेख (चरित्र पंजिका)
8. दंगा निरोधी उपकरण एंव उनका उपयोग
9. भास्त्र एवं कारतूस
10. चिकित्सा सुविधाएं
11. सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली सुविधाएं
12. अपराधियों के साथ मुठभेड़ में हताहत होने पर मिलने वाली सुविधाएं
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा बालश्रम आयोग का संगठन एवं कार्य

खण्ड–तीन उ0प्र0 पुलिस रेगुले ान

पैराग्राफ– 01 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,43,44 55, 58, 61, 62, 63, 64 65, 67, 69, 70,190 से 194, 295, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 464, 465, 466, 471, 488, 525

खण्ड – चार, कम्प्यूटर साइंस एंव साइबर अपराध

1. एम0एस0 वर्ड, एम0एस0 एक्सल, एम0एस0 पावरप्वाइंट का व्यवहारिक परिचय (TL)
2. साइबर सुरक्षा का तात्पर्य एंव सामान्य विधियां (NPA)
3. सी0सी0टी0वी0 कैमरों के प्रकार एंव पुलिस में उपयोगिता (NPA)
4. पब्लिक एड्रेस सिस्टम एंव ड्रोन कैमरे की जानकारी (NPA)
5. पुलिस से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशन
6. सोशल मीडियाः- टिवटर, वाट्सअप, मैसेंजर, फेसबुक आदि।
7. सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलने से रोकने के उपाय (TM)
8. मोबाइल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार, स्मार्ट फोन के प्रयोग, इन्टरनेट का प्रयोग, मोबाइल, फोटोग्राफी,
9. वीडियोग्राफी, वीडियो बनाकर अपलोड करना, पीडीएफ में स्कैन करना।
10. मोबाईल फोन के विभिन्न फीचर्स (विशेष गुण)/ऐप्स का प्रयोग करना।
11. गूगल सर्च, गूगल मैप, विकीपीडिया, यू–ट्यूब, गूगल मैप को मोबाईल पर उपयोग करना।
12. रिकार्ड बिल्डिंग–डिब्रीफिंग हेतु रिपोर्ट तैयार करना एवं उसे इन्टरनेट के माध्यम (फोन माध्यम) से भेजना।
13. यू0पी0 पुलिस की बेबसाईट का ज्ञान
14. आई0जी0आर0एस0 का संक्षिप्त ज्ञान

---

* उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन, आदि की विषय वस्तु **"पुलिस विज्ञान द्वितीय"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।

* कम्प्यूटर साइंस एंव साइबर अपराध की विषय वस्तु **"कम्प्यूटर का परिचय"** एंव **"कम्प्यूटर की पुलिस विभाग में उपयोगिता"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।

(4) चतुर्थ समूह (पुलिस विज्ञान द्वितीय)

कालांश –81 **पूर्णांक–100**

चतुर्थ समूह तीन खण्डों में निम्न प्रकार विभक्त होगा।

<u>खण्ड–एक</u>

1. गार्ड एवं स्कोर्टस नियम– 1 से 25 एवं 153क, 153ख, 154, 163, 193
2. वी0वी0आई0पी0 सुरक्षा का महत्व एवं इस कार्य में पुलिस तथा पीएसी का उत्तर दायित्व।
3. महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा
4. निर्वाचन ड्यूटी–मतदान स्थल, मतगणना स्थल, मतपत्रों की सुरक्षा
5. संतरी ड्यूटी, स्कोर्टस, पिकेट ड्यूटी
6. पुलिस आचरण के सिद्धांत एवं मीडिया, महिलायें, बच्चों, **बुजुर्गों एंव दिव्यागों** से व्यवहार
7. वायरलेस के बी0एच0एफ0 सेट पर तथा टेलीफोन पर वर्ता करना, संदे ा प्राप्त करना, संदे ा भेजना, डाक, प्राप्त करना (व्यवहारिक प्रि ाक्षण)
8. पीएसी मैन्युअल तथा पैम्पलेट नं0 – 10 की सामान्य जानकारी

<u>खण्ड–दो (विविध विषय)</u>

1. गैर कानूनी भीड़ और उससे निपटने के विधिक प्राविधानः–
   (अ) बल प्रयोग करने से पूर्व
   (ब) बल प्रयोग करते समय
   (स) बल प्रयोग करने के प चात अपनाई जाने वाली सावधानियां
2. बल प्रयोग के सिद्धांत एवं उपरोक्त से सम्बन्धित केस स्टडीज
3. पुलिस के विधिक कार्य
4. कुम्भ मेला, मेला ,बाजार, त्यौहार, जनसभा परीक्षा ड्यूटी, भाान्ति व्यवस्था, कर्फ्यू ड्यूटी
5. श्रमिक आन्दोलन, छात्र आन्दोलन, किसान आन्दोलन, राज्य कर्मचारी आन्दोलन, एवं राजनैतिक आन्दोलन में पीएसी की भूमिका।
6. साम्प्रदायिक दंगा नियन्त्रण में पीएसी की भूमिका।

   साम्पदायिक दंगों के दौरान धर्मनिरपेक्षता से ड्यूटी देने का महत्व एवं आव यकता तथा सामुदायिक पुलिसिंग (COMMUNITY POLICING)।

---

* पुलिस आचरण के सिद्धान्त, आपदा प्रबधन के सिद्धान्त की विषय वस्तु **"पुलिस विज्ञान प्रथम"** गार्ड एंव स्कोर्टस नियम की विषय वस्तु **"पुलिस विज्ञान द्वितीय"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।

* पुलिस आचरण के सिद्धान्त, पीएसी मैन्युअल तथा पैम्पलेट, आपदा प्रबधन आंतकवाद/नक्सलवाद, प्राथमिक चिकित्सा आदि की विषय वस्तु को अन्य सोर्सेज जैसे पुस्तकालय एवं इन्टरनेट इत्यादि से पढाया जाता है।

7. दैवी आपदाओं जैसे अग्नि काण्ड, बाढ़, भूस्खलन, भयंकर, आंधी–तूफान, भयंकर बस/ट्रेन दुर्घटना के समय पीएसी की भूमिका एवं कार्य।

8. आतंकवाद/नक्सलवाद का अर्थ, परिभाषा, कारण एवं निवारण।

उ0प्र0 में आतंकवाद/नक्सलवाद का इतिहास एवं वर्तमान स्थिति।

उ0प्र0 के प्रमुख आतंकवादी एवं उग्रवादी संगठन तथा उनके द्वारा अपनाई जाने वाली आपराधिक कार्य प्रणाली, प्रयोग किये जाने वाले अस्त्र– ास्त्र, गोला बारूद तथा उनसे निपटने के कारगर उपाय।

9. महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, मा0 मंत्रीगण, मा0 न्यायाधीश तथा सेना एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की गाड़ियों पर लगने वाले ध्वज, स्टार, बत्ती आदि के द्वारा गाड़ियों की पहचान।

10. सड़कों पर चलने वाले वाहनों को रोककर उनकी तला ी लेने का सुरक्षित तरीका।

11. फर्स्ट रिस्पान्डर के कर्तव्य

(क) घटना स्थल को सुरक्षित करना

(ख) सूचना भेजना

(ग) लाग तैयार करना

(घ) प्राथमिक चिकित्सा

(ड.) इवैकुवेशन (सुरक्षित बाहर निकालना)

खण्ड–तीन

1. प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार–हड्डी टूटना, आग से जलना, सॉप का काटना, बिजली से जलना, पानी में डूबना, बेहोशी, कालरा आदि।

(क) स्वास्थ्य रक्षा के नियम/संतुलित आहार

(ख) संक्रामक रोगों से बचाव यथा एच0आई0वी0 एड्स, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टी0बी0 इत्यादि।

(ग) मानसिक तनाव एवं चिंता के कारण एवं निवारण।

(घ) मादक पदार्थो के सेवन से हानियॅा/दुष्प्रभाव के कारण एवं निवारण।

2. व्यक्ति समूह तथा भीड़ मनोविज्ञान और उनके उग्र रूप धारण करने पर पुलिस/पीएसी का व्यवहार।

3. अफवाहो पर नियंत्रण।

4. पुलिस छवि

---

* पुलिस आचरण के सिद्धान्त, आपदा प्रबधन के सिद्धान्त की विषय वस्तु **"पुलिस विज्ञान प्रथम"** गार्ड एंव स्कोर्टस नियम की विषय वस्तु **"पुलिस विज्ञान द्वितीय"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, उ0प्र0 मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।

* पुलिस आचरण के सिद्धान्त, पीएसी मैन्युअल तथा पैम्पलेट, आपदा प्रबधन आंतकवाद/नक्सलवाद, प्राथमिक चिकित्सा आदि की विषय वस्तु को अन्य सोर्सेज जैसे पुस्तकालय एवं इन्टरनेट इत्यादि से पढाया जाता है।

(5) पंचम समूह (सामान्य ज्ञान)

कालांश –54 **पूर्णांक–50**

पंचम समूह दो खण्डों में निम्न प्रकार विभक्त होगा

खण्ड–एक

1. भारतीय संविधान के निर्माण का संक्षिप्त इतिहास।
2. मौलिक अधिकार, कर्तत्य।
3. नीति निदे ाक तत्व।
4. संघ एवं राज्यों के अधीन सेंवायें (अनुच्छेद–311)।
5. राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्र ध्वज तथा उसके निर्माण का इतिहास, फहराने के नियम, दुरूपयोग।
6. राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के निर्माण का इतिहास, गायन, वादन का समय।

खण्ड–दो

1. मानवाधिकार आयोग/महिला आयोग/अनुसूचित जाति आयोग का संक्षिप्त ज्ञान।
2. मानवाधिकार और पुलिस कार्य में उसकी महत्ता।
3. ि ाकायतकर्ताओं/संदिग्धों और अभियुक्तों के मानवाधिकारों का संरक्षण तथा उसके विधिक प्राविधान और इस पृष्ठभूमि में पुलिस/हिरासत में किये जाने वाले अपराध।
4. पुलिस उत्पीड़न तथा पुलिस हिरासत में किये जाने वाले अपराध।
5. **पुलिस अभिरक्षा में लिये गये व्यक्ति के साथ किये जाने वाला व्यवहार सम्बन्धी नियम, कानून एंव विधि व्यवस्था** (Case Law)
6. हथकड़ी लगाये जाने, बालकों/महिलाओं की गिरफ्तारी एवं घायल व्यक्तियों के उपचार के सम्बंध में विधिक ज्ञान।

   गिरफ्तारी के संबंध में परिपत्र– डीजी–अर्द्ध भा0 पत्र–3/97 दिनांक 29.03.1997
   हथकड़ी के संबंध में परिपत्र :– अर्द्ध भा0 पत्र– 3क–327–78 (II) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, दिनांक 26.04.1996
7. कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में उच्चतम् न्यायालय के निर्दे ा एवं इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र।

   परिपत्र संख्या :– डीजी–15–2004 लखनऊ दिनांक 05.08.2004
8. जेन्डर इ ूज– संवेदीकरण– लैंगिक न्याय/समानता
9. बालकों के प्रकरणों के प्रति संवेदीकरण– कि ोर न्याय व्यवस्था

---

* भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आदि की विषय वस्तु को अन्य सोर्सेज जैसे पुस्तकालय एवं इन्टरनेट इत्यादि से पढाया जाता है।

पाठ्यक्रम वाह्य विषय

वाह्य विषय के अंकों एवं कालांशों का विवरण/आवंटन (प्रस्तावित)
आवंटन वाह्य विषय (अवधि 06 माह)

क्र0 सं0	विवरण वाह्य विषय	कालांश	अंक
1.	शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0)	200	200
2.	पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0)	258	250
3.	शस्त्र प्रशिक्षण	200	200
4.	फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिस	196	200
योग सम्पूर्ण कालांश		**854**	850

कालांश विवरण वाह्य विषय रिक्रूट आरक्षी पीएसी

(1) शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0)

कालांश - 200 **पूर्णांक – 200**

विषय	**क्रंसं**	**विषय**	**कालांश**	**अंक**
1.शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0)			200	200
	1	शारीरिक दक्षता (पी0ई0)	50	60
	2	पी0टी0 एंव आपरेट्स वर्क	50	60
	3	इन्डोरेन्स एंव वाधाएं पार करना (SAC)	30	30
	4	यू0ए0सी0	20	20
	5	योगाभ्यास, प्राणायम एंव ध्यान	50	30
		योग कालांश	**200**	**200**

शारीरिक दक्षता (पी0ई0) – (कालांश - 50) **(पूर्णाक- 60)**

अंको का विभाजन-

क्रं0सं0	**विषय**	**अंक**
1.	क्रिकेट बाल थ्रो	10
2.	लम्बी कूद	10
3.	क्रास कन्ट्री 03 कि0मी0 (पुरूष)	15
4.	1 मिनट ड्रिल	10
5.	शटल रेस 10*10	10
6.	सिट-अप	05
कुल योग		**60**

---

* शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0) कार्यक्रम **"शारीरिक शिक्षण एंव खेलकूद"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

शारीरिक दक्षता (पी0ई0) प्रशिक्षण की विस्तृत विषय वस्तु

क्रिकेट बाल थ्रो **पूर्णांक - 10 अंक**

क्रं0सं0	विषय	अंक
1.	70 मीटर या अधिक	10
2.	60 मीटर - 69 मीटर	08
3.	50 मीटर - 59 मीटर	06
4.	40 मीटर - 49 मीटर	04
5.	40 मीटर से कम	02

लम्बी कूद **पूर्णांक - 10 अंक**

क्रं0सं0	विषय	अंक
1.	18 फीट	10
2.	17 फीट	8
3.	16 फीट	6
4.	15 फीट	5
5.	14 फीट	4

क्रास कंन्ट्री 03 कि0मी0 **पूर्णांक - 15 अंक**

क्रं0सं0	विषय	अंक
1.	12 मिनट में	15
2.	12.01 से 13 मिनट तक	14
3.	13.01 से 14 मिनट तक	13
4.	14.01 से 15 मिनट तक	12
5.	15.01 से 16 मिनट तक	11
6.	16.01 से 17 मिनट तक	10
7.	17.01 से 19 मिनट तक	08

---

* शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0) कार्यक्रम **"शारीरिक शिक्षण एंव खेलकूद"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

वन मिनट ड्रिल **पूर्णांक - 10 अंक**

क्र0सं0	विषय	अंक
1.	05 मी0 की स्प्रिन्ट दौड़ में जाना, 05 स्टैटिक लांग जम्प करके वापस आना, 05 मी0 की स्प्रिन्ट दौड़ में जाना, लाईन पर 10 दण्ड लगाते हुए 05मी0 की स्प्रिन्ट करके वापस आना	कोई एक ड्रिल तैयार कराकर 10 अंक
2.	पी0टी0 की विभिन्न एक्सरसाईजों को (प्रत्येक को 05 बार करते हुए) लगातार करते हुए 06 एक्सरसाईज टोली वार मिलान करना।	
3.	व्यायाम करते समय इन्जर्ड साथी को कन्धे पर लादकर 25 मी0 की दौड लगाना।	

शटल रेस 10*10 **पूर्णांक - 10 अंक**

पुरूष		
क्र0सं0	**विषय**	**अंक**
1.	1 मिनट में	10
2.	1.01 से 1.05 मिनट में	9
3.	1.06 से 1.10 मिनट में	8
4.	1.11 से 1.15 मिनट में	7
5.	1.16 से 1.20 मिनट में	6
6.	1.21 से 1.30 मिनट में	5

सिट-अप **पूर्णांक - 05 अंक**

पुरूष		
क्र0सं0	**विषय**	**अंक**
1.	01 मिनट में 50 सिट अप	5
2.	01.01 से 01.30 मिनट में 50 सिट अप	4
3.	01.31 से 02.00 मिनट में 50 सिट अप	3
4.	02.01 से 02.30 मिनट में 50 सिट अप	2
5.	02.31 से 03.00 मिनट में 50 सिट अप	1

---

* शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0) कार्यक्रम **"शारीरिक शिक्षण एंव खेलकूद"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

(2) पी0टी0 एंव आपरेटस (उपकरण)

कालांश - 50 **पूर्णांक – 60**

अंको का विभाजन

क्र0सं0	**विषय**	**पूर्णांक**
1.	पीटी एक्सरसाईज	9
2.	कमाण्ड लीडरशिप	8
3.	चौड़ा घोड़ा	4
4.	लम्बा घोड़ा	4
5.	बीम *	15
6.	सामने लुढ़क (Front Rool)	4
7.	पीछे लुढ़क (Back Rool)	4
8.	रस्सा **	12
	योग	**60**
नोट- तारांकित(*, **) उपविषयो के अंको का विभाजन निम्नवत किया गया है।		

*** बीम विषय का संख्या के आधार पर अंको का विभाजन** **कुल अंक - 15**

क्र0सं0	**विषय**	**पूर्णांक**
1.	08 बीम लगाने पर	15
2.	07 बीम लगाने पर	12
3.	06 बीम लगाने पर	9

**** रस्सा चढ़ने के आधार पर अंको का विभाजन** **कुल अंक - 12**

क्र0सं0	**विषय**	**पूर्णांक**
1.	प्रथम श्रेणी चढ़ने पर	12
2.	द्वितीय श्रेणी चढ़ने पर	9
3.	तृतीय श्रेणी चढ़ने पर	6

(6) इण्डोरेन्स एंव साधारण बाधा प्रशिक्षण (Simple Assault Course)-

कालांश -30 **पूर्णांक – 30**

अंको का विभाजन

क्र0सं0	**विषय**	**पूर्णांक**
1.	बाधा प्रशिक्षण	15
2.	इन्डोरेंस	15
	कुल योग	**30**

---

* शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0) कार्यक्रम **"शारीरिक शिक्षण एंव खेलकूद"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

इण्डोरेन्स एंव साधारण बाधा प्रशिक्षण की विस्तृत विषय वस्तु

इन्डोरेंस प्रशिक्षण **पूर्णांक – 15**

रोड वर्क का मानक नीचे दिया गया है। जो यथा सम्भव परेड ग्राउण्ड के नजदीक होना चाहिए यह कोर्स 30 मिनट में पूरा होना चाहिए। इस दौरान पी0टी0 ड्रेस में परेड वाले बूट पहने जायेंगे।

क्रं0सं0	**विषय**	**मीटर**
1.	वाक चाल	400 मीटर
2.	स्प्रिन्ट	100 मीटर
3.	वाक चाल	200 मीटर
4.	रैपिड वाक चाल	100 मीटर
5.	रेस	800 मीटर
6.	वाक् चाल	600 मीटर
7.	स्प्रिट	100 मीटर
8.	वाक् चाल	600 मीटर
9.	रैपिड वाक् चाल	100 मीटर
10.	रेस	2500 मीटर
11.	वाक चाल	200 मीटर

बाधा प्रशिक्षण - **पूर्णांक – 15**

क्रं0सं0	**विषय**	**पूर्णांक**
1.	सीधा बैलेंन्स	01
2.	किलीयर जम्प	01
3.	टेड़ा बैलेन्स	01
4.	डबल बीम	02
5.	डबल डिच	02
6.	मंकी रोप	02
7.	स्विंगिंग रोप	01
8.	08 फीट बाधा दीवार	04
9.	धुस	01
योग		**15**

---

* शारीरिक प्रशिक्षण (पी0टी0) कार्यक्रम **"शारीरिक शिक्षण एंव खेलकूद"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

(4) यू0ए0सी0

कालांश - 20 **पूर्णांक – 20**

अंको का विभाजन-

क्रं0सं0	**विषय**	**पूर्णांक**
1.	खाली हाथ दुश्मन से प्रतिरक्षा	6
2.	कैदी को गिरफ्तार करके ले जाने के लिए लाक्स एंव होल्ड्स की जानकारी	7
3.	सशस्त्र दुश्मन से प्रतिरक्षा	7

(5) योगाभ्यास,प्राणायाम,ध्यान

कालांश –50 **अंक–30**

(1) सूर्य नमस्कार

(2) आयुश विभाग द्वारा निर्धारित योग कियायें (कामन योग प्रोटोकाल)

(2) पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0)

कालांश –258 पूर्णांक - 250

विषय	क्रंसं	विषय	कालांश	अंक
1.पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0)	1	पद कवायद (फुट ड्रिल)	108	100
	2	शस्त्र कवायद (आर्म्स ड्रिल)	45	40
	3	रैतिक कवायद (सेरेमोनियल ड्रिल)	30	30
	4	लाठी चार्ज एंव रायट ड्रिल, टियर, स्मोक/लाठी ड्रिल	30	30
	5	यातायात नियन्त्रण एंव वाहन प्रबन्ध, वाहनों की सिंगल लाइन फार्मेशन बनवाना	15	20
	6	गार्द माउन्टिंग /ई0ओ0डी0	15	15
	7	अतिरिक्त कालांश /किट निरीक्षण	05	05
	8	वन मिनट ड्रिल	10	10
		योग	**258**	**250**

पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0) की विस्तृत विषय वस्तु

(1) पद कवायद (फुट ड्रिल)-

कालांश - 108 **पूर्णाक – 100**

क्रं0सं0	विषय
1.	परिभाषायें (जैसे एलाइनमेन्ट, कालम, सिधाई, निकट कालम, कूच कालम, सिधाई , तीनों –तीन कालम, कवरिंग, गहराई, फासला , सजना, दर्शक, घूमना आदि)
2.	ड्रिल का उद्देश्य, कमाण्ड के शब्द, वर्दी का पहनना
3.	सावधान-विश्राम, आराम से , खड़े-खड़े दाहिने, बांये , पीछे व आधा दाहिने बाँये मुड़ना
4.	चलना – तेज चाल, धीरी चाल, दौड़ चाल, कदम बदलना, बगली कदम, चलते-चलते दाहिने, बांये व पीछे मुडना
5.	बगैर शस्त्र के खड़े-खड़े व बाजू व बाजू का सैल्यूट तथा चलते-चलते सैल्यूट करना, विसर्जन
6.	केन ड्रिल (छड़ी कवायद) खड़े-खड़े व चलते –चलते सैल्यूट करना
7.	साथ में सैल्यूट सम्बन्धी आम हिदायतें
8.	तीन लाइन बनाना, खाली फाईल, सजना, थमकर व चलते –चलते दिशा व स्क्वाड बनाना चलते-चलते मुड़ना एंव घूमना
9.	तीन लाईन से दो लाईन बनाना एंव दो लाइन से तीन लाईन बनाना
10.	लाईन व तीनों –तीन फारमेशन से सिंगल फाईल में चलना व लाईन व तीनों –तीन बनाना खड़े –खड़े व चलते –चलते

---

* पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0) कार्यक्रम **"पुलिस ड्रिल मैनुअल"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

(2) शस्त्र कवायद (आर्म्स ड्रिल)

कालांश - 45 **पूर्णांक- 40**

1.	शस्त्रों सहित बाजू शस्त्र की दशा में लाईन बनाना, सीलिंग का लगाना व ढ़ीली करना
2.	शस्त्रों के साथ सावधान, विश्राम व आराम से
3.	बाजू शस्त्र से कन्धे शस्त्र, सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र
4.	कन्धें शस्त्र से सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र से कन्धे सशस्त्र
5.	संगीन का लगाना व उतारना बताया जाना
6.	कन्धे शस्त्र से सामने, पत्री के साथ व बाजू का सैल्यूट
7.	कन्धें शस्त्र से बायें शस्त्र, बाये शस्त्र से कन्धे शस्त्र, बाजू शस्त्र से बांए से बाजू शस्त्र
8.	निरीक्षण के लिए बांये शस्त्र, बोल्ट चला
9.	बांए शस्त्र से जांच शस्त्र, बोल्ट चला, जांच शस्त्र से बांए शस्त्र, जांच शस्त्र से बाजू शस्त्र
10.	बाजू शस्त्र से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से बाजू शस्त्र, कन्धें से तौल शस्त्र, तौल शस्त्र से कन्धे शस्त्र
11.	कन्धें शस्त्र से सम्भाल शस्त्र , सम्भाल शस्त्र से कन्धे शस्त्र
12.	बाजू शस्त्र से सम्भाल शस्त्र, सम्भाल शस्त्र से बाजू शस्त्र
13.	कन्धें शस्त्र से बदल शस्त्र, तौल शस्त्र से बदल शस्त्र
14.	भूमि शस्त्र , उठा शस्त्र , समतोल शस्त्र
15.	लटका शस्त्र बगैर संगीन के व संगीन के
16.	कंधे व बाजू से खड़ा शस्त्र, खड़ा शस्त्र से कन्धे व बाजू शस्त्र
17.	कन्धे शस्त्र से बदल शस्त्र, बदल शस्त्र से कन्धे शस्त्र
18.	बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र, सलामी शस्त्र से बगल शस्त्र
19.	बगल शस्त्र से सलामी शस्त्र , सलामी शस्त्र से बगल शस्त्र
20.	कन्धे व बाजू शस्त्र से तान शास्त्र , तान शस्त्र से कन्धे व बाजू शस्त्र
21.	कन्धे व बाजू से ऊंचा बाये शस्त्र व ऊंचा बायें शस्त्र से कन्धे व बाजू शस्त्र
22.	बाजू शस्त्र से बगल शस्त्र व बगल शस्त्र से बाजू शस्त्र
23.	संम्भाल शस्त्र से बदल शस्त्र व बदल शस्त्र से संभाल शस्त्र
24.	ऊंचा बायें तान शस्त्र से तान शस्त्र, तान शस्त्र से ऊंचा बायें शस्त्र

---

* पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0) कार्यक्रम **"पुलिस ड्रिल मैनुअल"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

(3) रैतिक कवायद (सेरेमोनियल ड्रिल)

कालांश- 30 **पूर्णांक – 30**

क्र0सं0	**विषय**
1.	सामान्य प्रबन्ध, निरीक्षण या रिव्यू परेड ग्राउण्ड
2.	यूनिट संगठन, परेड की बनावट, पैदल यूनिट का कदवार खड़ा करना, पैदल यूनिट का गिनना
3.	निरीक्षण और रिव्यू पर आम हिदायतें , अफसरों के लिए खास हिदायतें
4.	निरीक्षण या रिव्यू करने वाले अधिकारी का स्वागत करना, राष्ट्रपति व राज्यपालों का स्वागत करना
5.	निरीक्षण, मंच से गुजरना, पदाधिकारियों के स्थान
6.	बटालियन का कम्पनियों में मंच से गुजरना
7.	कूच कालम, प्लाटूनों के कालम में तेज व धीरी चाल से मंच से गुजरना एंव निरीक्षण को आगे बढ़ाना

(4) लाठी चार्ज एंव रायट ड्रिल (बल्वा नियंत्रण ड्रिल) / टियर स्मोक, लाठी ड्रिल

कालांश - 30 **पूर्णांक – 30**

क्र0सं0	**बिषय**
लाठी चार्ज एंव रायट ड्रिल (बल्वा नियंत्रण ड्रिल)	
1.	बल्वा नियंत्रण ड्रिल पर ब्याख्यान व प्रदर्शन
2.	नियत्रण पार्टियों का बनाना व जनशक्ति
3.	बल्वा नियंत्रण ड्रिल (सलक फायरिंग)
4.	कार्यवाही एक लाइन, दो लाईन, तीन लाईन से सामने, सामने पीछे, सामने दाहिने, बायें व चारों तरफ की कार्यवाही
5.	भीड़ नियत्रण उपकरणों की जानकारी (जैसे- हेलमेट, पटका, बाडी प्रोटेक्टर एल्बो गार्ड, केन शील्ड शिन गार्ड, बुलेटप्रूफ जैकेट आदि)
6.	लाठी ड्रिल तथा केन शील्ड का प्रयोग व विभिन्न फार्मेशनों की जानकारी

---

* पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0) कार्यक्रम **"पुलिस ड्रिल मैनुअल"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

टियर स्मोक	
1.	परिचय, इतिहास, विशिष्ट गुण, कारतूसों के प्रकार व रेस्पीरेटर
2.	सेल्स व ग्रिनेडस की संरचना, मुनीशन का रख-रखाव
3.	टीयर स्मोक का टैक्टिकल (यूक्तिपूर्ण) प्रयोग व चिली बम्ब/ स्टन ग्रिनेड
4.	प्लास्टिक पैलेट्स की जानकारी
5.	गैस गन ड्रिल/ ग्रिनेड फेंकने की ड्रिल
6.	मुनीशन का फेंकना व फायर करना

(5) यातायात प्रबन्धन

कालांश- 15 **पूर्णांक – 20**

क्र0सं0	विषय
1.	ड्राइवर के संकेत
2.	ट्रैफिक संकेत (हाथ व विद्युत)
3.	ट्रैफिक उपकरणों का ज्ञान
4.	वाहन प्रबन्ध
5.	पुलिस ड्राइवर की ट्रेनिंग, पेट्रोलिंग के दौरान पार्किग, पीछा करना, चौराहे पर वाहन को रोकना, मोड़ना, पार्क करना।
6.	सड़क पंक्ति (सिंगनल लाईन फारमेशन बनाना)

(6) गार्द माउन्टिंग / ई0ओ0डी0

कालांश - 15 **पूर्णांक – 15**

क्र0सं0	विषय
गार्द माउन्टिंग	
1.	परिभाषायें
2.	गार्द चढ़ाना

---

* पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0) कार्यक्रम **"पुलिस ड्रिल मैनुअल"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

3.	गार्द बदलना, लगाना व विसर्जन करना
4.	सन्तरियों एंव बदलियों का लगाना, बदलना, चलना व विसर्जन
5.	गार्द का दिन में निरीक्षण के लिए लाईन बनाना
6.	गार्द का रात्रि में लाईन बनाना
7.	सन्तरियों के लिए सामान्य निर्देश
8.	गार्द व सन्तरियों द्वारा अभिवादन देने के सामान्य अनुदेश
ई0ओ0डी0	
इसका प्रशिक्षण पुलिस ड्रिल मैनुअल के अध्याय 13 के अनुसार दिया जायेगा	

वन मिनट ड्रिल –

कालांश - 10 **पूर्णांक – 10**

क0 सं0	विषय वन मिनट ड्रिल	कालांश	अंक
1.	**पदाति प्रशिक्षण (वन मिनट ड्रिल)** (1) पी0टी0 ड्रेस से वर्दी धारण करना, रैंक से रायफल उठाकर कमवार टोली में फालिन होना। (2) 20×20 के ग्राउण्ड पर टोली को रिटायर एवं एडवान्स की दशा में लाना एवं 02 स्क्वाड व 02 दिशा बनाना बारी बारी।	10	10
2.	**शस्त्र प्रशिक्षण (वन मिनट ड्रिल)** (1) शस्त्र सहित 20 मीटर दौड कर सही दशा में लाइंग पोजीशन बनाना, 05 मी0 क्विक एडवान्स से सही दशा में नीलिंग पोजिशन बनाना, 05 मी0 क्विक एडवान्स से सही दशा में स्टैण्डिंग पोजिशन (2) शस्त्रों को तरतीबवार खोलना – 9 एम.एम. पिस्टल, कार्बाइन, 7.62 एस.एल.आर.		

नोटः–अन्तिम परीक्षा में उपरोक्त में से कोई एक ड्रिल करायी जायेगी।

---

* पदाति प्रशिक्षण (आई0टी0) कार्यक्रम **"पुलिस ड्रिल मैनुअल"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है।

(3) शस्त्र प्रशिक्षण

कालांश - 200 **पूर्णांक – 200**

<table>
<tr><td>विषय</td><td>क्र0स0</td><td>विषय</td><td>कालांश</td><td>पूर्णांक</td></tr>
<tr><td rowspan="7">शस्त्र प्रशिक्षण</td><td colspan="2">**वेपन्स थ्योरी**</td><td>150</td><td>120</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>.22 रायफल, एल0एल0आर0, ए0के0-47, 5.56 इंसास, .303 रायफल बैनट</td><td>70</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>एल0एम0जी0 .303, एल0एम0जी0 .56 इंसास, एल0एम0जी0 7.62 एसएलआर</td><td>40</td><td>30</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>एच ई0 -36 ग्रिनेड</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>9 एमएम कार्बाइन, स्टेनगन</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>9 एमएम पिस्टल, वीएलपी, पीएमएफ, ग्लाक पिस्टल</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2" मोर्टार/ एम0पी0-5, स्नेपर रायफल</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td colspan="2">**फायरिंग प्रशिक्षण**</td><td>50</td><td>80</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>.303 रायफल ग्रुपिग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर</td><td rowspan="5">50</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>7.62 एसएलआर रायफल ग्रुपिग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर</td><td>20</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>इन्सास रायफल ग्रुपिग, एप्लीकेशन, मूविंग, स्नैप, रैपिड फायर</td><td>20</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>9 एमएम स्टेन/कार्बाइन</td><td>15</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>डमी ग्रिनेड</td><td>05</td></tr>
<tr><td colspan="2">**योग**</td><td>**200**</td><td>**200**</td></tr>
</table>

नोट- फायरिंग अभ्यास पूर्व की भांति वास्तविक रूप से कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सी0बी0टी0 (Computer Based Training of Weapons) से भी अभ्यास कराया जाये । यथा सम्भव फायरिंग की अन्तिम परीक्षा से पूर्व कम से कम एक बार अभ्यास फायरिंग अवश्य कराई जाये ।

---

* शस्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम **"सशस्त्र प्रशिक्षण भाग – 1"** , **"सशस्त्र प्रशिक्षण भाग – 2"** , **"रायफल बैनेट"** , **"सेल्फ लोडिंग रायफल"** एंव **"अश्रु गैस/ बलवा ड्रिल"** नामक पुस्तक में है। जिसका प्रकाशन सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ0प्र0 सीतापुर द्वारा किया जाता है ।

(4) फील्ड क्राफ्ट एंव टैक्टिस

कालांश- 196 **पूर्णांक- 200**

विषय	क्र0स0	विषय	कालांश	पूर्णांक
फील्ड क्राफ्ट एंव टैक्टिस	1.	मैप रीडिंग एंव कम्पास, जी0पी0एस0, नाईटविजन डिवाइस, टेलीस्कोप	25	20
	2.	फील्ड इन्जीनियरिंग	10	10
	3.	फील्ड क्राफ्ट – कैमोफ्लाँज एंव कन्सीलमेन्ट, आब्जरवेशन, चीजें क्यों नजर आती हैं, कांम्बिंग, रेड, एम्बुश, काउन्टर एम्बुश, ब्रीफिंग-डीब्रीफिंग	36	30
	4.	दूरी का अनुमान लगाना, फील्ड सिग्नल, सैक्सन फारमेशन	15	10
	5.	बैटल टैक्टिक्स, तारगेट का प्रकार एंव बयान	10	10
	6.	पेट्रोलिंग उद्देश्य, प्रकार, किसी व्यक्ति की तरफ बढ़ते समय सावधानियां, हैडकफ्स, इक्सपेन्डिबल बैटन, पुलिस अधिकारी द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां।	30	30
	7.	पुलिस आपरेशन, हाउस सर्च, व्यक्ति, वाहन, स्थान की तलाशी, क्यू0आर0टी0, कार्डन, रूम इन्टरवेशन	40	30
	8.	रूट मार्च (विशिष्ट विवरण नीचे देखें)	-	-
	9.	जंगल कैम्प एण्ड ट्रैनिंग (दस्यु उन्मूलन, नक्सलवाद) (03 दिन), विभिन्न क्षेत्रों में कैम्प लेआउट की जानकारी	-	30
	10.	बारूदी सुरंग आई0ई0डी0 एंव माइन्स, एन्टीमाइन्स डिवाइस, माइनडिटेक्टर, एन्टीमाइन, व्हीकल्स, बम के प्रकार, बम से बचाव, बम मिलने पर तत्काल की जाने वाली कार्यवाही	30	30
		योग	**196**	**200**

योग सम्पूर्ण वाह्य कालांश / पूर्णाक	**854**	**850**

रूट मार्च की विषय वस्तु-

क्र0सं0	विषय
1.	05 किमी (रायफल सहित) आबर्जेशन स्किल टेस्ट, छद्म व छुपाव का प्रदर्शन
2.	10 किमी (रायफल सहित) दूरी का अनुमान लगाने का अभ्यास
3.	15 किमी (रायफल सहित) फील्ड क्राफ्ट व टैक्टिक्स अभ्यास सेक्शन चांस एन्काउन्टर
4.	20 किमी (रायफल सहित) फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स अभ्यास
5.	25 किमी (रायफल सहित) फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स एवं अभियान की जानकारी
6.	30 किमी (रायफल सहित) फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स अभ्यास एंव अभियान की जानकारी

---

*फील्ड क्राफ्ट एंव टैक्टिस कार्यक्रम **"फील्ड क्राफ्ट एंव युक्ति"** एंव **"दस्यु उन्मूलन तथा काउन्टर इन्सरजेन्सी अभियान"** नामक पुस्तक में अंकित है। जो सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में प्रकाशित है।

रात्रि प्रशिक्षण शनिवार की रात्रि अथवा अवकाश से पूर्व की रात्रि में कराया जा सकता है।

नोटः-

1. रूट मार्च की परीक्षा नही होगी। इसका अभ्यास अवकाश के दिनों में कराया जायेगा।
2. यथा सम्भव जंगल कैप के विषयों का पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण वास्तविक लोकेशन पर ही दिया जाये। इसका मूल्यांकन भी आन्तरिक रूप से सत्रीय मूल्यांकन की तरह होगा।
3. गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण हेतु सभी प्रकार के डी0पी0 व स्कैलटन शस्त्र सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जायें।
4. किट निरीक्षण का कार्य आवश्यकतानुसार रविवार के दिन भी द्वितीय पाली में कराया जा सकता है।
5. रविवार, द्वितीय शनिवार एंव अन्य अकार्य दिवसों में रिक्रूट आरक्षियों द्वारा रूट मार्च का अभ्यास बैरक एरिया/सफाई, शस्त्रों की सफाई, परेड ग्राउण्ड की सफाई, वृक्षारोपण एंव वृक्षरक्षण कार्य, सौन्दर्यीकरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल आदि का आयोजन आवश्यकतानुसार कराया जाए। इसके अतिरिक्त कतिपय कारणों से छुटे हुए पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने तथा अतिमहत्व के विषयों की पुनरावृत्ति/ अतिरिक्त कक्षायें/ डिमास्ट्रेशन आदि का कार्य कराया जाए।

(ओम प्रकाश सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

---

*फील्ड क्राफ्ट एंव टैक्टिस कार्यक्रम "फील्ड क्राफ्ट एंव युक्ति" एंव "दस्यु उन्मूलन तथा काउन्टर इन्सरजेन्सी अभियान" नामक पुस्तक में अंकित है। जो सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में प्रकाशित है।

(अ) अन्तःकक्षीय विषयों हेतु संस्तुत पाठ्य पुस्तकें

क0	पुस्तक का नाम	प्रकाशक
1.	भारतीय दण्ड संहिता	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
2.	दण्ड प्रकिया संहिता	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
3.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
4.	केन्द्रीय विविध अधिनियम–एक भाग	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
5.	केन्द्रीय विविध अधिनियम–दो भाग	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
6.	उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित विविध अधिनियम	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
7.	सूचना प्रौद्योगिकी एंव साइबर क्राइम	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
8.	पुलिस विज्ञान प्रथम	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद
9.	पुलिस विज्ञान द्वितीय	डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अका0 मुरादाबाद

(ब) बाह्य कक्षीय विषयों हेतु संस्तुत पाठ्यपुस्तकें

क0	पुस्तक का नाम	प्रकाशक
1.	रायफल बैनेट	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
2.	सेल्फ लोडिंग रायफल	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
3.	अश्रु गैस / बलवा ड्रिल	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
4.	दस्यु उन्मूलन तथा काउन्टर इन्सरजेन्सी अभियान	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
5.	प्रश्नोत्तरी	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
6.	शस्त्र प्रशिक्षण भाग – 1	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
7.	शस्त्र प्रशिक्षण भाग – 2	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
8.	फील्ड क्राफ्रट एवं युक्ति	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
9.	पुलिस ड्रिल मैनुअल	ए0पी0टी0सी0 सीतापुर
10.	प्राथमिक सहायता	सेंट जॉन एम्बुलेंन्स एसोसिएसन, नई दिल्ली

***नोट*–**इसका पाठ्यक्रम/सामान्य निर्देश डा0 भीमराव अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद तथा ए0पी0टी0सी0 सीतापुर के प्रकाशन विभागों से प्राप्त कर प्रत्येक प्रशिक्षु को उपलब्ध कराया जाएगा।

परिशिष्ट – 4

आरक्षी पीएसी का व्यावहारिक प्रशिक्षण

क्र0स0	**व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**	**अवधि**
1	प्रशिक्षण की अवधि	03 माह (90 दिवस)
2	वाहिनी मुख्यालय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण	20 दिवस
3	व्यवस्थापन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण	70 दिवस

(1) वाहिनी की विभिन्न शाखाओं सम्बन्धित सामान्य प्रशिक्षण

क्र0स0	**विषय**	**अवधि**	**विषय**
1.	जीरो परेड व स्वागत	01 दिवस	वाहिनी का भ्रमण व अन्य जानकारी
2.	कम्पनी कार्यालय	01 दिवस	कम्पनी के मद, रोस्टर रजिस्टर, प्रशिक्षण रजिस्टर, उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी आदेशों की जानकारी
3.	कम्पनी स्टोर	01 दिवस	कम्पनी स्टोर का रख-रखाव
4.	कम्पनी भोजनालय	01 दिवस	स्टाफ रजिस्टर , औसत रजिस्टर का ज्ञान, कैश बुक इत्यादि का ज्ञान तथा भोजनालय संचालन की जानकारी
5.	कम्पनी शस्त्रागार का कार्य	01 दिवस	शस्त्रों के रख-रखाव, सफाई व शस्त्र हिस्ट्रीशीट की जानकारी
6.	सैन्य सहायक कार्यालय	01 दिवस	एच0ओ0बी0, पुरूस्कार, व्यवस्थापन, दण्ड आदेश कक्ष इत्यादि
7.	शिविरपाल शाखा की सामान्य जानकारी एंव वाहिनी में व्यवस्थापित व्यवसायिक मदों के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी	02 दिवस	रोजनामचा आम, वर्दी स्टोर, टेन्ट, स्टोर, कण्डम स्टोर, कैश, जी0पी0 स्टोर, भूमि व भवन रजिस्टर , वृक्ष रजिस्टर, मरममत तथा अन्य सेवा अभिलेखों की जानकारी
8.	वाहिनी शस्त्रागार का कार्य	02 दिवस	आरमरी व मैग्जीन का रख-रखाव व समान्य ज्ञान
9.	प्रधान लिपिक कार्यालय का कार्य	01 दिवस	चिकित्सा प्रतिपूर्ति, रिट, दण्ड व अपील चरित्र पंजिका, वेतन निर्धारण व अवकाश के सम्बन्ध में जानकारी
10.	आंकिक शाखा का कार्य	01 दिवस	डी0ए0, टी0ए0 व भविष्य निधि के सम्बन्ध में जानकारी
11.	परिवहन शाखा का कार्य	01 दिवस	वाहनों का रख-रखाव
12.	गोपनीय कार्यालय का कार्य	01 दिवस	सामान्य जानकारी
13.	विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं	01 दिवस	सहायक सेनानायक द्वारा
14.	वाहिनी के आन्तरिक कर्तव्यों डियूटियों तथा क्वार्टर गार्द, एल0पी0 व क्यू0आर0टी0 की सामान्य जानकारी तथा कर्तव्यों का निर्वहन	02 दिवस	सैन्य सहायक द्वारा
15.	व्यवहारिक प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम	01 दिवस	सेनानायक द्वारा

नोट – शेष 02 अकार्य दिवस का उपयोग सूबेदार सैन्य सहायक द्वारा प्रशिक्षणर्थियों को वाहिनी, दल तथा स्वयं के रख-रखाव एंव सौन्दर्यीकरण के प्रशिक्षण से सम्बन्धित जानकारी दी जायेगी।

प्रशिक्षण अवधि दिवस	अकार्य दिवस	कुल अवधि
18 दिवस	02	20

(2) व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान (कुल 70 दिवस)

क्र0सं0	विषय	अवधि
1.	नक्सल डियूटी ओरिऐन्टेशन कोर्स	10 दिवस
2.	नक्सल डियूटी व्यवहारिक प्रशिक्षण (डिटैचमेन्ट ट्रेंनिंग)	04 दिवस
3.	हाउस गार्द डियूटी ओरिएन्टेशन कोर्स	02 दिवस
4.	आर0जे0बी0 / काशी विश्वनाथ/ श्रीकृष्ण जन्म भूमि ओरिऐन्टेशन कोर्स	02 दिवस
5.	आर0जे0बी0/ काशी विश्वनाथ/ श्रीकृष्ण जन्म भूमि व्यवहारिक प्रशिक्षण (डिटैचमेन्ट ट्रेंनिंग)	07 दिवस
6.	महत्वपूर्ण मेला /त्यौहार ओरिऐन्टेशन कोर्स	01 दिवस
7.	महत्वपूर्ण मेला /त्यौहार व्यवहारिक प्रशिक्षण (डिटैचमेन्ट ट्रेंनिंग)	07 दिवस
8.	शान्ति व्यवस्था/ साम्प्रदायिक एंव अन्य विधि व्यवस्था परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य ओरिएन्टेशन कोर्स	01 दिवस
9.	शान्ति व्यवस्था / साम्प्रदायिक एंव अन्य विधि व्यवस्था परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिक प्रशिक्षण (डिटैचमेन्ट ट्रेंनिंग)	07 दिवस
10.	वी0वी0आई0पी0/ वी0आई0पी0 ओरिएन्टेशन कोर्स	02 दिवस
11.	वी0वी0आई0पी0/ वी0आई0पी0 व्यवहारिक प्रशिक्षण (डिटैचमेन्ट ट्रेंनिंग)	04 दिवस
12.	बाढ सहायता एंव अन्य आपदा प्रबन्धन ओरिएन्टेशन कोर्स	02 दिवस
13.	बाढ सहायता एंव अन्य आपदा प्रबन्धन व्यवहारिक प्रशिक्षण (डिटैचमेन्ट ट्रेंनिंग)	03 दिवस
14	बीहड़/ दस्यु उन्मूलन आपरेशन का व्यवहारिक ओरिएन्टेशन कोर्स	08 दिवस
कुल		**60 दिवस**

टिप्पणी:- 1 पूर्ण व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शेष 10 दिवस का समय एक व्यवस्थापन स्थल से दूसरे व्यवस्थापन स्थल की डियूटी पर आवागमन हेतु सुरक्षित रखा गया है।

टिप्पणी:- 2 उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यवाही आदेश अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जायेगा। चूंकि आरक्षियों की संख्या काफी अधिक होगी अतः इस प्रकार व्यवस्था की जाये कि डियूटी विशेष में लगी सभी कम्पनियों में उपयुक्त संख्या में प्रशिक्षु सम्बन्ध किये जाये ताकि दलनायक से गुल्म नायक द्वारा उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

(ओम प्रकाश सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश